न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 51/2021 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2021/60

1. पृथ्वीराज
2. साहबराम

} पिसरान सहीराम जाट निवासी मोरजंडखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

3. विनोद कुमार
4. सुशील कुमार

} पिसरान बृजलाल जाट निवासी मोरजंडखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

5. कौशल्या उर्फ विजय श्री बेवा बृजलाल जाति जाट निवासी मोरजंडखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. मन्जू पुत्री बृजलाल पत्नि मनोज जाति जाट निवासी सालीवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मोरजन्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
2. मनीराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी मोरजन्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. सरोज पत्नि मनीराम जाति जाट निवासी मोरजन्डखारी तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री करण सिंह तंवर — अभिभाषक अपीलांट
श्री मदन सुरोलिया — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 2, 3

निर्णय

दिनांक 13.05.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर के निर्णय दिनांक 31.03.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं –

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1– विवादित भूमि तहसील सादुलशहर के चक 39 एम.एम.के. के खाता संख्या 66/58 में 13 बीघा व खाता संख्या 65/56 में 4 बीघा कृषि भूमि है। उक्त वादगत भूमि अपीलांट सं. 1, 2 के पिता, अपीलांट सं. 3, 4, 6 के दादा, 5 के ससुर व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के पिता स्व. सहीराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। अपीलांट के पिता स्व. सहीराम ने उक्त भूमि की वसीयत दिनांक 08.05.2001

को अपने तीन पुत्रों पृथ्वीराज, साहबराम व बृजलाल के हक में कर दी। अपीलांट सं. 3 ता 6 स्व. बृजलाल के वारिसान है। सहीराम की मृत्यु उपरांत वादगत भूमि का सरपंच, ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी ने विरासतन इंतकाल संख्या 332 दिनांक 20.07.2016 दर्ज कर दिया। उक्त इंतकाल संख्या 332 के विरूद्ध अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 31.03.2021 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त विवादित भूमि की वसीयतकर्ता सहीराम ने पृथ्वीराज, साहबराम व बृजलाल के हक में दिनांक 08.05.2001 को वसीयत कर दी तथा रेसपोडेन्ट संख्या 2 जो कि अपीलांट सं. 1 व 2 का भाई है, को अन्यत्र भूमि खरीद कर दे दी। सहीराम की मृत्यु उपरांत अपीलांट्स ने वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत मोरजण्डखारी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत ने आश्वासन दिया कि वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज कर दिया जाएगा। इसके बावजूद ग्राम पंचायत ने रेस्पोडेन्ट सं. 2 के साथ मिली भगत कर विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया। मौके पर कब्जें में परिवर्तन नहीं होने से विरासतन इंतकाल दर्ज हो जाने का पता नहीं चला। रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने अपने हिस्से की भूमि अपनी पत्नी रेस्पोडेन्ट सं. 3 सरोज के हक में गिफ्ट कर दी, जिसका रेस्पोडेन्ट सं. 3 के नाम इंतकाल संख्या 332 दर्ज हो गया। उक्त इंतकाल सं. 332 के विरूद्ध अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद पर निर्णय किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर अपील को निरस्त कर दिया। वादग्रस्त भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय का स्थगन आदेश जारी होते हुए भी अपीलाधीन आदेश पारित कर किया गया। अपील अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन निर्णय बिना माईण्ड एप्लाई किये पारित किया गया। गिफ्ट डीड के आधार पर ग्राम पंचायत को इंतकाल दर्ज करने के अधिकार नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संदर्भ में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांतों का हवाला दिया हैः—

- आर.आर.डी. 1991 पेज सं. 164
- आर.आर.डी. 1999 पेज सं. 98
- आर.आर.डी. 2016 पेज सं. 28

न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग बीकानेर

संभागीय आयुक्त बीकानेर

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 ने दौराने बहस कथन किया कि वादगत भूमि सहीराम के नाम दर्ज थी। सहीराम का देहांत हो जाने पर उक्त विवादित भूमि का उसके जायज वारिसान के हक में इंतकाल दर्ज हो गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने हिस्से की भूमि अपनी पत्नी रेस्पोडेन्ट सं. 3 को गिफ्ट डीड कर दी। उक्त गिफ्ट डीड के आधार पर ग्राम पंचायत ने इंतकाल संख्या 332 दर्ज कर दिया। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त गिफ्ट डीड को चैलेंज ही नही किया और न ही विरासतन दर्ज इंतकाल को चैलेंज किया। ग्राम पंचायत ने पूर्ण कानूनी प्रकिया का पालन करते हुए इंतकाल दर्ज किया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस के संदर्भ में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत का हवाला दिया हैं:—

- APEX COURT JUDGEMENTS 2021(3) Page No. 173

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, उभय पक्ष की बहस तथा न्यायिक दृष्टांतों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीकानेर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.03.2021 पारित करते हुए अपीलांट की अपील को खारिज कर दिया। सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर इंतकाल संख्या 332 दर्ज किया गया है। अपीलांट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त रजिस्टर्ड दान पत्र को चैलेंज ही नही किया है। उक्त रजिस्टर्ड दानपत्र को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित नहीं करवाया है। ग्राम पंचायत ने रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर इंतकाल संख्या 332 को दर्ज करने की कार्यवाही में किसी भी प्रकार त्रुटि नहीं की है। उक्त परिपेक्ष्य में उपरोक्त रजिस्टर्ड दानपत्र के आधार पर स्वीकृत इंतकाल संख्या 332 दिनांक 20.07.2016 न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर जिला गंगानगर का अपीलाधीन आदेश 31.03.2021 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती हैं।

5— तदानुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/5/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर